

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 350

प्रकरण क्रमांक -M-COM-2021-01609

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "ओरियंटल बैंक एम्पलाईस हाउसिंग कॉर्पोरेशन सोसायटी मर्यादित, बकतरा", प्रमोटर-श्री चन्द्रप्रताप पटेल, पता-बकतरा, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-" ओरियंटल बैंक एम्पलाईस हाउसिंग कॉर्पोरेशन सोसायटी मर्यादित, बकतरा" पता-बकतरा, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
08/06/2026	<p>- प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>- रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा द्वारा प्रतिवेदन अनुसार यह पाया गया है कि भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट "ओरियंटल बैंक एम्पलाईस हाउसिंग कॉर्पोरेशन सोसायटी मर्यादित, बकतरा" पंजीयन क्रमांक-PCGRERA08051900 0970 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनांक 08.05.2019 से पंजीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट्स को भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-04 एवं धारा-11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक-17/रेरा/2018/562, दिनांक 28.09.2018 एवं क्रमांक-22/रेरा/2018/676, दिनांक 03.11.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे, जो प्राधिकरण की वेबसाइट पर सहज उपलब्ध हैं। संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों की अवहेलना करते हुए, उपरोक्त वर्णित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति पोर्टल पर अद्यतन नहीं की गई है।</p> <p>अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 29.11.2021 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा विवादित प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट को विकसित किया गया है तथा सक्षम प्राधिकारी से दिनांक 23.11.2023 को प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। अनावेदक द्वारा प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर गलत सर्टिफिकेट अपलोड किया गया है तथा खाते से तीसरे पक्ष को भुगतान किया गया है।</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 350

प्रकरण क्रमांक -M-COM-2021-01609

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "ओरियंटल बैंक एम्पलाईस हाउसिंग कॉर्पोरेशन सोसायटी मर्यादित, बकतरा", प्रमोटर-श्री चन्द्रप्रताप पटेल, पता-बकतरा, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-" ओरियंटल बैंक एम्पलाईस हाउसिंग कॉर्पोरेशन सोसायटी मर्यादित, बकतरा" पता-बकतरा, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>अनावेदक को उक्त कृत्य अधिनियम की धारा-4(2)(L)(d) का उल्लंघन है। इस प्रकार अनावेदक द्वारा अधिनियम के प्रावधानों एवं निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है। अनावेदक द्वारा अधिनियम की धारा-4(2)(L)(d) का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा-60 अंतर्गत प्रमोटर पर शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत अनावेदक पर अधिनियम की धारा-60 के अंतर्गत रूपये 1,000/- शास्ति अधिरोपित की जाती है। अनावेदक, 15 दिवस के भीतर निर्धारित शासकीय मद-मुख्य शीर्ष 0216-आवास, उप मुख्य शीर्ष 02-शहरी आवास, लघु शीर्ष 105-भू संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 योजना क्रमांक 3201-रेरा द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड, में जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत करें। यदि अनावेदक द्वारा 15 दिवस की अवधि में भी शास्ति की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा उक्त आदेश के अनुपालन के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करें।</p> <p>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे।</p> <p style="text-align: center;">सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p style="text-align: center;">सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	